



सर्वाधिक महत्वपूर्ण
नियम एवं शर्तें

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

नियम एवं शर्तों का पूर्ण संस्करण प्राप्त करने हेतु कृपया हमारी वेबसाइट www.aubank.in पर जाएँ अथवा हमारे निकटतम शाखा से प्राप्त करें।

बचत खाता

1. बचत खाते निर्धारित केवाईसी (केवाईसी) मानकों के अनुसार अर्ह व्यक्ति/व्यक्तियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा यथा अनुमोदित कतिपय संगठनों/एजेंसियों द्वारा खोले जा सकते हैं।
2. पैन (पीएएन) उपलब्ध न होने की स्थिति में खाता खोलते समय ग्राहकों के लिए प्रपत्र 60 जमा करना आवश्यक होगा।
3. बचत खाते पर ब्याज वर्तमान में दैनिक समापन शेष राशि के आधार पर मासिक रूप से देय है, बशर्ते कि यह न्यूनतम रू. 1/- बनता हो। देय ब्याज को निकटतम रूप में पूर्णकित किया जाएगा।
4. अनिवासी ग्राहकों के बचत खातों पर देय ब्याज, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) के अधीन होगा। कर की कटौती की राशि के संबंध में बैंक द्वारा ग्राहकों को कर कटौती प्रमाणपत्र (टीडीएस प्रमाणपत्र) प्रदान किया जाएगा।
5. मैं सहमत हूँ कि मैं खाता खोलते समय बैंक के किसी भी विक्रय प्रतिनिधि को रू. 10,000 से अधिक का नकद भुगतान नहीं करूँगा/करूँगी तथा बैंक के सामान्य कार्यकलाप के क्रम में किसी भी लेन-देन के लिए नकद राशि का भुगतान नहीं करूँगा/करूँगी। मैं लेन-देनों के लिए केवल शाखा परिसर में बैंक के टेलर काउंटर पर ही नकद राशि जमा करने के लिए सहमत हूँ। खाता खोलने हेतु भी मैं प्रारंभिक राशि का केवल नियमानुसार नियोजन की जाँच एवं पावती के बाद ही बैंक प्रतिनिधि को भुगतान करूँगा/करूँगी।
6. वेतन खाता

- a) वेतन जमा की पुनर्वापसी: मैं एतद द्वारा बैंक को अपरिवर्तनीय रूप से एवं बिना शर्त, अपने नियोक्ता/कंपनी के अनुरोध पर, खाते में उपलब्ध धनराशि पर रोक लगाकर, डेबिट करके अथवा क्रेडिट की पुनर्वापसी कर मेरे खाते में नियोक्ता/कंपनी द्वारा जमा की गई किसी भी अतिरिक्त राशि को वसूल करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ। किसी भी खाते में उपलब्ध धनराशि पर बैंक द्वारा लगाए गए ऐसे किसी भी रोक, किए गए डेबिट अथवा क्रेडिट की पुनर्वापसी की गई कार्रवाई के लिए बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी अथवा दायित्वाधीन नहीं होगा।
- b) मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि मेरा खाता नियोक्ता/कंपनी में नियोजन के आधार पर बैंक में खोला गया है और "वेतन खाता" नामित किया गया है। नियोक्ता/कंपनी एवं बैंक के बीच हुए समझौते के आधार पर, बैंक के एकमात्र विवेक से नियोक्ता/कंपनी के साथ मेरे नियोजन की अवधि के दौरान अथवा नियोक्ता/कंपनी एवं बैंक के बीच हुए उक्त समझौते की वैधता अवधि तक ही मुझे इस खाते पर कुछ विशेष सुविधाएँ मिल सकती हैं। नियोक्ता/कंपनी के साथ मेरे नियोजन की समाप्ति पर, मैं बैंक को सूचित करूँगा/करूँगी। "नियोक्ता/कंपनी" शब्द से वह कंपनी तात्पर्यित है जिसमें मैं कार्यरत हूँ और जिसके अनुरोध पर बैंक में वेतन खाता खोला गया है।
- c) मैं समझता/समझती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि वेतन खाते पर प्रदान की गई विशेष सुविधाएँ नियोक्ता/कंपनी और बैंक के बीच नियमित वेतन जमा करने के समझौते पर आधारित हैं।
- d) मैं समझता/समझती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि मेरे नियोक्ता/कंपनी द्वारा प्रदान किए गए संबंधित खातों में वेतन जमा करने से पहले खाताधारक के नाम का खाता संख्या से मिलान नहीं किया जाता है।
- e) मैं समझता/समझती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि वेतन जमा करने के लिए सही खाता संख्या प्रदान करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से मेरे नियोक्ता/कंपनी की होगी और मैं अपने नियोक्ता/कंपनी द्वारा प्रदान की गई ऐसी गलत खाता संख्या के कारण होने वाली किसी भी गलत जमा के लिए बैंक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगा/ ठहराऊँगी/ठहराऊँगी।
- f) मैं एतद द्वारा सहमत हूँ कि, मेरे एयू वेतन खाते में लगातार तीन महीनों तक कोई वेतन जमा नहीं होने की स्थिति में, बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के एयू वेतन खाते की स्थिति को एयू बचत

खाते - मूल्य में बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एयू बचत खाता - मूल्य पर लागू होने वाले नियम व शर्तें, स्थिति में परिवर्तन की तिथि से इस खाते पर लागू होंगी। एयू बचत खाता - मूल्य के नियम व शर्तें और विशेषताएँ बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

- g) मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि यदि यह पाया जाता है कि खाते में नियमित रूप से कोई वेतन या राशि जमा नहीं की जा रही है और/या मेरे नियोक्ता/कंपनी के निर्देश पर, या यदि मैं किसी भी कारण से नियोक्ता/कंपनी की सेवा में नहीं रहता/रहती हूँ, तो मुझे 15 दिन का नोटिस देने के बाद बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार से एयू वेतन खाता बंद कर सकता है।
- h) मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि मेरा नियोक्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को मेरे वेतन खाते में जमा की तिथि से तीन (3) कार्यदिवसों के भीतर नियोक्ता द्वारा की गई किसी भी जमा की पुनर्वापसी करने का निर्देश देता है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे निर्देश पर कार्रवाई करेगा और मैं ग्राहक के खाते में ऐसी किसी भी डेबिट के लिए बैंक से कोई विवाद नहीं करूँगा/करूँगी या उसे जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगी/ठहराऊँगी। इस प्रयोजन के लिए, जिस संस्था/संगठन से खाते में पिछला वेतन जमा हुआ है, उसे नियोक्ता माना जाएगा। हालाँकि, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नियोक्ता के उपर्युक्त निर्देश पर कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

बुनियादी बचत बैंक जमा खाता

- i) नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार, बुनियादी बचत बैंक जमा खाता धारक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्वयं या संयुक्त धारक की हैसियत से कोई अन्य बचत खाता खोलने के पात्र नहीं हैं।
- j) यदि ऐसे खातों को बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर मेरे द्वारा बंद नहीं किया जाता है, तो बैंक नियामकीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत लागू होने पर अन्य बचत खातों (यदि कोई हो) को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- k) 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' बैंक खाते खोलने के लिए समय-समय पर जारी किए गए केवाईसी संबंधी आरबीआई के निर्देशों के अधीन होगा। यदि ऐसा खाता सरलीकृत केवाईसी मानदंडों के आधार पर खोला जाता है, तो खाते को अतिरिक्त रूप से 'लघु खाता' माना जाएगा।

l) बुनियादी बचत बैंक जमा खाता लघु खाताधारक के रूप में, ग्राहक निम्नलिखित लेन-देन संबंधी सीमाओं के अधीन होगा:

- बुनियादी बचत बैंक जमा खाता लघु खाते में कुल शेष राशि किसी भी समय 50,000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- या बुनियादी बचत बैंक जमा खाता लघु खाते में कुल जमा राशि एक वर्ष में 1,00,000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- या बुनियादी बचत बैंक जमा खाता लघु खाते में कुल निकासी और अन्तरण एक माह में 10,000 रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
- यदि खाते में शेष राशि 50,000 रूपए से अधिक हो जाती है, तो लघु खाते में तब तक किसी और क्रेडिट लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि शेष राशि 50,000 रूपए से कम न हो जाए।
- यदि वित्तीय वर्ष में क्रेडिट की कुल राशि 1,00,000 रूपए से अधिक हो जाएगी, तो उस वित्तीय वर्ष के अंत तक लघु खाते में किसी और क्रेडिट लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- निकासी और अंतरण 10,000 से अधिक होने पर, उक्त कैलेंडर माह के अंत तक लघु खाते में किसी और डेबिट लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

m) बुनियादी बचत बैंक जमा खाता लघु खाताधारक के लिए एयू स्माल फाइनेंस बैंक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:

- [खाता खोलने के 12 महीनों के भीतर वैध केवाईसी (बुनियादी बचत बैंक जमा खाता लघु खातों के लिए निर्दिष्ट केवाईसी की स्वीकार्य सूची के अनुसार) के लिए आवेदन करने का प्रमाण।
- [खाता खोलने के 24 महीनों के भीतर बैंक की स्वीकार्य केवाईसी सूची के अनुसार वास्तविक केवाईसी (पहचान का प्रमाणपत्र, पते का प्रमाणपत्र और फोटो)।

7. जैसा कि नियामकीय/बैंक प्राधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है, खाता खोलने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
8. बचत खाते पर ब्याज दर का भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमितकरण कर दिया गया है। यह दर समय-समय पर भिन्न-भिन्न हो सकती है और इसकी गणना दैनिक शुद्ध शेष राशि के आधार पर की जाएगी। बचत खाते पर ब्याज मासिक अंतराल पर या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार जमा किया जाएगा।
9. मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि बैंक द्वारा समय-समय पर चयनित बचत/चालू खाते के लिए निर्धारित औसत मासिक शेष (एएमबी) बनाए रखना अनिवार्य है और चयनित उत्पाद प्रकार के अनुसार एएमबी बनाए न रखने का शुल्क लागू होता है। यदि खाते में लगातार 12 महीनों तक शेष राशि कम रहती है, तो बैंक खाते का उपयुक्त निम्नतर प्रकार में निम्नीकरण करने का अधिकार रखता है। पुराने उत्पाद से जुड़े उत्पाद लाभ/सुविधाएँ प्रदान किया जाना बंद कर दी जाएँगी और नए प्रकार के लाभ और शुल्क लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, बैंक अपने विवेकानुसार खाता बंद करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
10. बचत बैंक खाते का उपयोग केवल गैर-व्यावसायिक/गैर-वाणिज्यिक प्रकृति के नियमित लेन-देन के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा लेन-देन या ऐसा कोई भी लेन-देन किए जाने की स्थिति में, जिसे वाणिज्यिक/व्यावसायिक/संदिग्ध या अवांछनीय माना जा सकता है, बैंक ऐसे खातों में एकपक्षीय रूप से परिचालनों पर रोक लगाने और/या खाता बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बिना किसी शुल्क के अनुमति प्राप्त जमा और निकासी संबंधी लेन-देनों की संख्या बैंक की वेबसाइट aubank.in पर उपलब्ध उत्पाद सेवा शुल्क दस्तावेज़ में उपलब्ध है।
11. एयू स्माल फाइनेंस बैंक की सभी शाखाओं में नकद जमा सुविधा उपलब्ध है। निःशुल्क सीमा से अधिक नकद जमा पर लागू शुल्क बैंक की वेबसाइट aubank.in पर उपलब्ध उत्पाद सेवा शुल्क संबंधी दस्तावेज़ में उपलब्ध है। नकद राशि नकद राशि जमा मशीनों (जहाँ भी लागू हो) में भी जमा की जा सकती है।
12. समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार बैंक के ग्राहक किसी भी बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाकर नकद निकासी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। नकद निकासी के लिए एटीएम में एटीएम-सह-डेबिट कार्ड का भी उपयोग किया जा सकता है।

13. अवयस्क के लिए आयु 18 वर्ष से कम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक मानी गई है।
14. वरिष्ठ नागरिक संबंधी नियम अनिवासियों पर नहीं लागू होते हैं।
15. 10 वर्ष से अधिक आयु का अवयस्क बैंक में स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोल और संचालित कर सकता है। यदि अवयस्क की आयु 10 वर्ष से कम है, तो केवल अभिभावक द्वारा ही खाते का संचालन किया जा सकता है।
16. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अवयस्क के खातों से अधिक राशि न निकाली जाए और उनमें हमेशा जमा राशि बनी रहे। बैंक अपनी शाखाओं को निर्देश देगा कि जब भी उन्हें ऐसा अनुरोध प्राप्त हो, तो वे अभिभावकों के रूप में माताओं के साथ अवयस्कों के खाते (केवल सावधि और बचत) खोलने की अनुमति दें।
17. बैंक अभिभावक/प्रबंधक नियुक्त करने के बाद ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, मानसिक रूग्णता और मानसिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के खाते खोलने की अनुमति देगा और ऐसे खाताधारकों पर लागू अधिनियमों के अंतर्गत कानूनी स्थिति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों/प्रमाणपत्रों को भी ध्यान में रखेगा।
18. बैंक शुल्क और प्रभारों में किसी भी परिवर्तन के लिए 30 दिनों की पूर्व सूचना देगा।
19. केवाईसी का पूर्णतः अनुपालन वाले खातों को खाताधारक(कों) के अनुरोध पर बैंक की शाखाओं के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। शाखाओं के बीच खाते के स्थानांतरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
20. प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में 5,00,000 रूपए तक की बैंक जमा राशि, जमा बीमा योजना के अंतर्गत जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है।
21. खाता बंद करने के अनुरोध में बंद करने का कारण बताना होगा। संयुक्त खातों को केवल ऐसे सभी संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुरोध पर ही बंद किया जा सकता है। खाता बंद करने के संबंध में शुल्क बैंक की वेबसाइट aubank.in पर उपलब्ध सेवा शुल्क दस्तावेज़ में निर्दिष्ट किए गए हैं।

22. बैंक बिना किसी सूचना के किसी भी समय उपरोक्त नियमों में कोई भी परिवर्तन, संशोधन या निरस्तीकरण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। खाता खोलने वाला कोई भी व्यक्ति खाते को नियंत्रित करने वाले नियमों से आबद्ध होगा।

चालू खाते

1. खाता खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के केवाईसी संबंधी मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। चालू खाते (सी/ए) व्यक्तियों, स्वामित्व फर्मों, साझेदारी फर्मों, एलएलपी, निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों, एचयूएफ/निर्दिष्ट संघों, समितियाँ, ट्रस्टों आदि द्वारा खोले जा सकते हैं।
2. चालू खाता खोलते समय पैन अनिवार्य है।
3. पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में, उच्चतर दर पर कर कटौती की जाएगी।
4. आरबीआई के निर्देशानुसार, चालू खाते के लिए आवेदक को खाता खोलने के फॉर्म में या अलग से किसी भी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा/सुविधाओं की घोषणा करनी चाहिए और यदि उसने/उन्होंने कोई भी ऋण सुविधा प्राप्त की है, तो उसे/उन्हें ऋण का प्रकार, ऋण की राशि, संबंधित बैंक/शाखा का नाम आदि दर्शाते हुए इसका पूरा विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

साथ ही, किसी भी चालू खाता/किन्हीं चालू खातों को खोलने से पहले, बैंक समय-समय पर नियामकों द्वारा दिए गए निर्देशानुसार, चालू खाता खोलने - अनुशासन की आवश्यकता पर नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राहक के लिए जोखिम (फंड और गैर-फंड आधारित) का सत्यापन करेगा। बैंक ग्राहक द्वारा किसी अन्य बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं का पता लगाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए रखे गए बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस से ऋण जोखिम विवरणों का सत्यापन करेगा। बैंक ग्राहक द्वारा बैंकिंग प्रणाली से प्राप्त ऋण सुविधाओं का पता लगाने के लिए क्रेडिट ब्यूरो जैसे अन्य स्रोतों का भी उपयोग कर सकता है। समय-समय पर निगरानी के लिए, बैंक सभी चालू खातों और सीसी/ओडी की नियमित रूप से, कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर, विशेष रूप से ऋणी के प्रति बैंकिंग प्रणाली के जोखिम के संबंध में निगरानी करेगा। यदि ऋणी के प्रति बैंकों के ऋण जोखिम या बैंकिंग प्रणाली के समग्र ऋण

जोखिम में कोई परिवर्तन होता है, तो संशोधित/नवीनतम ऋण जोखिम विवरण बैंक को प्रस्तुत करना होगा। मैं/हम बैंक को सीआरआईएलसी या क्रेडिट ब्यूरो या किसी सरकारी अधिकृत स्रोत से अपने ऋण संबंधी विवरणों का सत्यापन करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं और विवरण गलत/अद्यतन न होने की स्थिति में, बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार उचित सूचना देकर खाता बंद कर सकता है।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार चालू खाते में रखी गई शेष राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

कार्यक्रम खातों का समूहीकरण

1. मैं सहमत हूँ कि बैंक अपने विवेकानुसार कुछ खाता प्रकारों/खंडों के मामले में खाता समूहीकरण की सुविधा प्रदान कर सकता है। इस सुविधा के अंतर्गत, खातों और संबंधों की संख्या जिनके खातों को लिंक किया जा सकता है, प्राथमिक समूह सदस्य द्वारा सहमति दिए जाने के बाद बैंक के विवेकानुसार होगी।
2. मैं सहमत हूँ कि एक समूह में, एक सदस्य को प्राथमिक समूह सदस्य वर्गीकृत किया जाएगा और प्राथमिक समूह आईडी से जुड़े शेष ग्राहकों को समूह सदस्य/द्वितीयक सदस्य वर्गीकृत किया जाएगा।
3. मैं सहमत हूँ कि कार्यक्रम समूहीकरण के संबंध में किसी भी संचार-संपर्क/सूचना के लिए बैंक के लिए प्राथमिक समूह सदस्य ही पहला और प्राथमिक संपर्क बिंदु होगा।
4. संयुक्त औसत शेष राशि के खाता लाभ की समूह में जुड़े सभी खातों में गणना की जाएगी। औसत शेष राशि के अलावा, प्रत्येक व्यक्तिगत खाते के संबंधित लाभ/शुल्क, शुल्कों की अनुसूची में निर्दिष्टानुसार, व्यक्तिगत खातों पर ही जारी रह सकते हैं।
5. संयुक्त औसत शेष राशि का लाभ कार्यक्रम समूह का अस्तित्व रहने तक या ग्राहक के समूह का हिस्सा बने रहने तक जारी रहेगा।

6. यदि ग्राहक जो प्राथमिक समूह सदस्य है, खाता बंद कर देता है, तो समूह के सदस्य किसी अन्य समूह सदस्य को प्राथमिक समूह सदस्य वर्गीकृत करने और समूहीकरण लाभों को जारी रखने का अनुरोध कर सकते हैं, नहीं तो समूह को भंग कर दिया जाएगा और संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक संयुक्त औसत शेष राशि को व्यक्तिगत ग्राहक स्तर पर बनाए रखा जाना होगा।
7. ग्राहक आईडी से जुड़े सभी खाते संबंधित कार्यक्रम के लिए नामांकित हो जाएँगे।
8. ग्राहक किसी भी समयबिंदु पर केवल एक ही समूह का हिस्सा हो सकता है।
9. मैं सहमत हूँ कि कार्यक्रम समूहीकरण के भाग के रूप में, बैंक कैशबैक/लॉयल्टी पॉइंट्स/माइलस्टोन रिवॉइर्स या कोई अन्य पेशकश/लाभ प्रदान कर सकता है। कैशबैक/लॉयल्टी पॉइंट्स/माइलस्टोन रिवॉइर्स, कार्यक्रम के लिए बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि के भीतर ग्राहकों के खातों में जमा कर दिए जाएँगे। बैंक को अपने विवेक के आधार पर किसी भी समय कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार है। बैंक उल्लिखित पेशकशों/लाभों के लिए पेशकश मानदंडों के एक भाग के रूप में कुछ लेनदेनों या कुछ व्यापारी श्रेणियों में लेनदेनों को भी बहिष्कृत कर सकता है।
10. उन्नयन के मामले में, कोई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। ग्राहक सेवा अनुरोध करके चेक बुक के लिए आवेदन कर सकते हैं।
11. मैं समझता/समझती हूँ कि, खाता उन्नयन होने पर, नया डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा जैसा कि संबंधित कार्यक्रम में लागू हो और मौजूदा कार्ड (यदि कोई हो) नया कार्ड जारी होने के 30 दिनों के भीतर या नए कार्ड के सक्रियण पर, जो भी पहले हो, निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
12. अवयस्क, गैर-व्यक्तिगत इकाई (एचयूएफ को छोड़कर), द्वितीयक/संयुक्त धारकों के मामले में, उन्नयन करते समय कोई डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यदि ऊपर कार्ड का अनुरोध दर्ज किया गया है, तो उसे अमान्य माना जाएगा।
13. ** मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि खाता अवनयन होने पर, नए चयनित खाते में लागू अनुसार एक नया डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा और मौजूदा कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

14. परिवार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सभी लाभ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एकमात्र विवेकाधिकार हैं। बैंक द्वितीयक ग्राहक के इस खाते के अंतर्गत दिए जाने वाले किसी भी लाभ को बदलने, वापस लेने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
15. कार्यक्रम से बाहर होने वाले खातों को, लागू अनुसार नियमित बचत खाते में बदल दिया जाएगा।
16. संयुक्त खातों के मामले में, डेबिट कार्ड केवल प्राथमिक खाताधारक को ही जारी किया जाएगा। द्वितीयक धारक शाखा में अलग से अनुरोध करके कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
17. बैंक द्वारा निर्धारित समूहीकरण दिशानिर्देशों के आधार पर अनुमत चुनिंदा संबंधों पर विचार किया जाएगा।
18. यदि कर्ता व्यक्तिगत रूप से या कर्ता के रूप में समूह का हिस्सा है, तो एचयूएफ ग्राहक आईडी का समूहीकरण किया जा सकता है।
19. यदि ट्रस्ट का लेखक/ट्रस्टी/सेटलर (निर्णयकर्ता) व्यक्तिगत रूप से समूह का हिस्सा है तो पारिवारिक ट्रस्ट ग्राहक आईडी का समूहीकरण किया जा सकता है।
20. सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संगठन, क्लब, सोसाइटी, सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थानों का समूहीकरण नहीं किया जा सकता है।
21. लगातार 6 महीनों तक कार्यक्रम संबंधी पात्रता मानदंडों को पूरा न करने की स्थिति में खाता अवनयन कर दिया जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार नियम और शर्तें लागू होंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.aubank.in देखें।

सामान्य नियम व शर्तें

1. औसत मासिक शेष (एएमबी) की गणना संबंधित माह की अवधि तक खाते में दिनांत (ईओडी) शेष राशियों के औसत के रूप में की जाती है। उदाहरण के लिए (ईओडी शेष राशि दिन 1 + ईओडी शेष राशि दिन 2 + + ईओडी शेष राशि दिन "एन" / महीने में "एन" दिनों की संख्या)।

खाताधारक के लिए समय-समय पर बैंक की शुल्कों की अनुसूची में निर्दिष्टानुसार खाते में निर्धारित औसत मासिक/त्रैमासिक शेष राशि बनाए रखना आवश्यक है। मासिक/त्रैमासिक औसत शेष राशि न बनाए रखने पर बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्टानुसार सेवा शुल्क लागू होंगे, जो बैंक की वेबसाइट www.aubank.in पर उपलब्ध हैं।

2. पैन उपलब्ध न होने पर, आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा तक ही कुल नकद जमा और नकद निकासी की अनुमति है।
3. यदि किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए सभी खातों से निकाली गई कुल नकदी आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि से अधिक हो जाती है, तो बैंक का स्रोत पर कर कटौती करने का वैधानिक दायित्व है। बैंक कर कटौती की राशि के लिए कर कटौती प्रमाणपत्र (टीडीएस प्रमाणपत्र) जारी करेगा।
4. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक की उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत कुल विदेशी विप्रेषण आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि से अधिक हो जाता है, तो बैंक का स्रोत पर कर एकत्र करने का वैधानिक दायित्व है। बैंक कर संग्रह की राशि के लिए कर संग्रह प्रमाणपत्र (टीसीएस प्रमाणपत्र) जारी करेगा।
5. जिन खातों में आरबीआई के मानदंडों (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन या केवाईसी अद्यतनीकरण) के अनुसार लगातार 2 वर्षों की अवधि तक ग्राहक की पहल पर किया गया लेनदेन नहीं होता है, उन्हें प्रसुप्त/निष्क्रिय खाता माना जाएगा। सेवा शुल्कों, बचत पर प्राप्त ब्याज को ग्राहक की पहल पर किया गया लेनदेन नहीं माना जाएगा।

ग्राहक की पहल पर किए जाने वाले लेनदेनों की सूची के लिए कृपया नीचे दिया गया परिपत्र देखें:

https://rbi.org.in/Scripts/BS_CircularIndexDisplay.aspx?Id=12589

6. अनुरोध किए जाने पर ग्राहकों को निःशुल्क पासबुक प्रदान की जाएगी, नहीं तो पंजीकृत ईमेल पते पर खाते का मासिक विवरण पत्र निःशुल्क भेजा जाएगा। खाते में पंजीकृत ईमेल आईडी न होने पर, ग्राहक को खाते का निःशुल्क अर्धवार्षिक भौतिक विवरण पत्र भेजा जाएगा। ग्राहक द्वारा खाते के विवरण पत्र ('एसओए') में प्रविष्टियों की जाँच की जाएगी। खाते के विवरण पत्र में उल्लिखित विवरणों में खाताधारक द्वारा पहचानी गई किसी भी अनियमितता या विसंगति के बारे में

खाताधारक को खाते का विवरण पत्र भेजने के 14 दिनों के भीतर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को सूचित करना होगा, नहीं तो खाताधारक द्वारा खाते का विवरण पत्र स्वीकार किया गया माना जाएगा। बैंक किसी भी समय खाते के विवरण पत्र में किसी भी विसंगति में सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विभिन्न उपलब्ध चैनलों के माध्यम से ग्राहक के अनुरोध पर खाते का डुप्लिकेट विवरण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

7. मैं सहमत हूँ कि बैंक द्वारा मेरे खाते के सभी संयुक्त धारकों की सहमति से मेरे खाते में परिचालन की विधा में कोई भी संशोधन किया जा सकता है। मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि बैंक मेरे खाते के सभी संयुक्त धारकों की सहमति के बिना प्राप्त संशोधन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। मैं आगे सहमत हूँ और पुनः स्वीकार करता/करती हूँ कि ऐसे समय तक बैंक खाता खोलने के समय या बाद में सहमत परिचालन की विधा के अनुसार निर्देशों को स्वीकार करना जारी रखेगा।
8. मैं सहमत हूँ कि सामान्य परिस्थितियों में, बैंक अपनी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के मार्गदर्शनानुसार, मुझे कम से कम 30 दिन का नोटिस देकर मेरा खाता बंद करने का अधिकार रखता है। हालाँकि, खातों के अनुचित संचालन की स्थिति में, जैसे कि बड़ी संख्या में चेकों की वापसी होना, बैंक बिना कोई पूर्व सूचना दिए मेरा खाता बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. मैं सहमत हूँ कि बैंक अपने पूर्ण विवेकानुसार, मुझे कम से कम 30 दिन पहले सूचना देकर मेरे खाते में दी गई किसी भी सेवा/सुविधा में पूर्णतः या आंशिक रूप से कभी भी संशोधन कर सकता है और/या मुझे अन्य सेवाओं/सुविधाओं में अंतरण करने का विकल्प प्रदान कर सकता है।
10. मैं सहमत हूँ कि खाता खोलने के समय दिए गए दस्तावेजों में किसी भी परिवर्तन/अद्यतनीकरण की स्थिति में, ऐसे परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर वह परिवर्तन/अद्यतनीकरण बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।
11. मैं सहमत हूँ कि बैंक में अपने संचार-संपर्क संबंधी विवरणों (ईमेल, मोबाइल नंबर, पता) को अद्यतन रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। यदि विवरण अद्यतन न होने के कारण कोई जानकारी मुझ तक नहीं पहुँचती है, तो बैंक इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
12. नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार केवल व्यक्तियों और एकल स्वामी के पक्ष में ही नामांकन किया जा सकता है। यदि नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, तो दावे की स्थिति में राशि प्राप्त करने के

लिए किसी अन्य वयस्क व्यक्ति को अभिभावक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, जब तक कि नामित व्यक्ति अवयस्क है। ग्राहक द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान खाते में नामांकन शामिल किया जा सकता है या मौजूदा नामांकन विवरण में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है। ग्राहक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नए नामांकन या मौजूदा नामांकित व्यक्ति संबंधी विवरण में परिवर्तन/संशोधन के लिए ऐसे सभी संव्यवहारों की पावती उसे प्राप्त हो। हालाँकि बैंक नामांकन सुविधा के लाभों के बारे में बताएगा, लेकिन यदि खाता खोलने वाला ग्राहक फिर भी नामांकन नहीं करना चाहता है, तो उसे बैंक के अभिलेख में नामांकन न होने की स्थिति में इसकी सहमति प्रदान करनी होगी।

13. चेक बुक आदि जैसी डिलिवरेबल्स को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास उपलब्ध नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार ग्राहक के डाक/संचार-संपर्क के पते पर भेजा जाएगा और ऐसी डिलिवरी को सही और उचित डिलिवरी माना जाएगा। ग्राहक बैंक द्वारा जारी किए गए डिलिवरेबल्स की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और उसके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति की इस तक अनधिकृत पहुँच न हो। खो जाने/चोरी हो जाने के मामले में, ग्राहक को बैंक को लिखित रूप से सूचित करना होगा या तत्काल आधार पर आईवीआर के माध्यम से ग्राहक सेवा केंद्र में अनुरोध दर्ज कराना होगा।
14. मैं/हम एतद द्वारा बैंक को (i) मेरे/हमारे स्थायी खाता संख्या, जन्म तिथि और बैंक के पास उपलब्ध अन्य जनसांख्यिकीय विवरणों का उपयोग कर टीडीएस समाधान विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली - आयकर विभाग की वेबसाइट / एनएसडीएल / किसी अन्य वेबसाइट से मेरे/हमारे वार्षिक कर क्रेडिट विवरण / फॉर्म 26 एसएस / टीडीएस प्रमाण पत्र को देखने / एकत्र करने / डाउनलोड करने और (ii) मेरे/हमारे द्वारा समय-समय पर बैंक से प्राप्त सुविधाओं के संबंध में आवेदन पत्र / बैंक द्वारा अभी या इसके बाद निष्पादित किए गए / निष्पादित किए जाने वाले संबंधित दस्तावेजों में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी / डेटा का, बैंक की अन्य शाखाओं / सहायक कंपनियों / सहयोगियों / क्रेडिट ब्यूरो / रेटिंग एजेंसियों, सेवा प्रदाताओं, बैंकों / वित्तीय संस्थानों, सरकारी / नियामकीय प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष को जानकारी के सत्यापन, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण या अन्य संबंधित उद्देश्य के लिए खुलासा करने के लिए, जो बैंक उचित समझ सकता है, अधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं और सहमति देता/देती हूँ/देते हैं। मैं/हम करता/करती हूँ/स्वीकार करते हैं कि बैंक द्वारा प्राधिकरण का प्रयोग मेरे/हमारे लाभ और सेवा के लिए है, तदनुसार मैं/हम अनुबंध की गोपनीयता और निजता के विशेषाधिकार का त्याग करता/करती हूँ/करते हैं।

15. खंड का उन्नयन एवं अवनयन: मैं समझता/समझती हूँ कि खातों/खंडों (जहाँ लागू हो) की औसत अर्धवार्षिक शेष राशि यानी 180 दिनों का औसत शेष राशि के लिए समय-समय पर दो कैलेंडर तिमाहियों (रोलिंग) की अवधि के लिए समीक्षा की जाएगी, जिसमें खाता खोलने की कैलेंडर तिमाही शामिल नहीं है। निर्धारित सीमाओं को पूरा करने/न पूरा करने वाले खातों के लिए लिंक किए गए पैकेज का क्रमशः उन्नयन/अवनयन किया जाएगा। संबंधित पैकेज के लिए लागू शुल्कों की अनुसूची उन्नयन/अवनयन के बाद लागू होगी। बैंक द्वारा ईमेल/एसएमएस के माध्यम से ग्राहकों को उचित सूचना देना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्नयन/अवनयन की सीमाएँ क्रमशः शुल्कों की अनुसूची के अंतर्गत वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएँगी।
16. इसमें प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए बड़े अक्षरों में शब्दों का नियमों और शर्तों में उनके लिए निर्दिष्ट किया गया अर्थ होगा जैसा कि www.aubank.in वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। नियम व शर्तों का पूरा संस्करण देखने/प्राप्त करने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.aubank.in पर जाएँ या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की निकटतम शाखा में पधारें।
17. मैं बैंक के नियमों व शर्तों और लागू नियमों तथा समय-समय पर मेरे खाते से संबंधित इसके नियमों व शर्तों में परिवर्तनों का पालन करने के लिए सहमत हूँ, जैसा कि बैंक की वेबसाइट पर सूचित और उपलब्ध कराया गया है।

डेबिट कार्ड

1. खाताधारक से विशिष्ट लिखित अनुरोध के बाद खाताधारक/प्राधिकृत व्यक्ति/पावर ऑफ अटॉर्नी धारक (विशिष्ट बोर्ड प्रस्ताव/खाताधारक से प्राधिकरण के आधार पर)/अवयस्क (10 वर्ष से अधिक आयु) को उसके खाते के संबंध में डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा जिससे कि वह समय-समय पर विभिन्न प्रकार के लेन-देनों के माध्यम से परिचालन कर सके, जिनमें एटीएम/ईडीसी/पीओएस टर्मिनल/कियोस्क/इंटरनेट पेमेंट गेटवे (अर्थात ("भुगतान माध्यम")) शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।
2. बैंक डेबिट कार्ड और एटीएम संबंधी सुविधाओं के लिए शुल्कों/प्रभारों की अनुसूची के अनुसार शुल्क लेगा जैसा कि बैंक की वेबसाइट पर दर्शाया गया है या बैंक की शाखाओं में उपलब्ध है। ऐसा शुल्क

या तो लेन-देन के साथ ऑनलाइन, लेन-देन के बाद या शुल्कों/प्रभारों की प्रकृति के अनुसार निर्दिष्टानुसार आंतरिक रूप से डेबिट किया जाएगा।

3. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और अन्य बैंकों के एटीएम पर प्रतिदिन नकद निकासी की राशि और निःशुल्क लेनदेन बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन होंगे।
4. एटीएम पर नकदी और चेक की सभी जमाएँ बैंक/बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा सत्यापन के अधीन होंगी और सत्यापित राशि कार्डधारक के लिए बाध्यकारी होगी।
5. पीओएस लेनदेनों के मामले में, बैंक किसी भी लेन-देन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो कार्डधारक का व्यापारी के साथ हो सकता है।
6. डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) किसी भी परिस्थिति में खाताधारक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से प्रकट नहीं की जाएगी। कार्डधारक को पिन या कोड को किसी भी ऐसे रूप में अभिलेखित नहीं करना चाहिए जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी माध्यम से देखा या उपयोग किया जा सके। कार्डधारक अपने पिन के प्रकटीकरण और/या डेबिट कार्ड के अनधिकृत उपयोग से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और किसी भी अतिरिक्त देयता के लिए उत्तरदायी होगा, जो वह पिन और डेबिट कार्ड के अनधिकृत उपयोग के कारण वहन कर सकता है। कार्डधारक डेबिट कार्ड के किसी भी अनधिकृत उपयोग और ऐसे दुरुपयोग के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है।
7. एटीएम पर कार्ड का उपयोग करना संभव बनाने के लिए, मेरे द्वारा/मुझे एक व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) जनरेट/जारी की जाएगी। मेरे द्वारा ग्रीन पिन सुविधा का उपयोग करके (अर्थात् पिन जनरेट करने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एटीएम/आईवीआर फोन बैंकिंग/एसएमएस - जैसा लागू हो, कार्ड/कुछ व्यक्तिगत पहचान संबंधी विवरणों और एक विशिष्ट ओटीपी का उपयोग करके) जनरेट किया जाएगा या संचार के पंजीकृत पते पर (अनुरोध पर) मुझे डाक से भेजा जाएगा।
8. एक नई व्यक्तिगत पहचान संख्या का चयन और/या डेबिट कार्ड बदलना एक नए अनुबंध का आरंभ नहीं माना जाएगा।

9. डेबिट कार्ड की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कार्डधारक स्वयं जिम्मेदार होगा। डेबिट कार्ड के खो जाने/चोरी हो जाने/सदस्यता निरस्त हो जाने/समापन हो जाने/वापस लौटाने की स्थिति में, कार्डधारक को बैंक की किसी भी शाखा/संपर्क केंद्र, अधिमानतः डेबिट कार्ड जारी करने वाली शाखा को, यथाशीघ्र लिखित रूप से या फ़ोन पर, डेबिट कार्ड के खो जाने की सूचना देनी होगी, चाहे किसी भी प्रकार से हुआ हो।

अपने एयू डेबिट कार्ड के खो जाने, चोरी हो जाने, अनधिकृत उपयोग या समापन हो जाने/वापस लौटाने की सूचना देने के लिए, कृपया 1800 1200 1200 पर कॉल करें या customer.care@aubank.in पर ईमेल करें या AU0101 मोबाइल ऐप में लॉग इन करें और "डेबिट कार्ड" पर जाएँ, या नेट बैंकिंग का उपयोग कर "डेबिट कार्ड" पर जाएँ। ग्राहक द्वारा अनधिकृत लेनदेन की सूचना देने के सभी माध्यम/विधियाँ देखने के लिए निम्नांकित लिंक का भी उपयोग किया जा सकता है:

<https://www.aubank.in/report-unauthorised-transactions>

कार्ड के खो जाने/चोरी हो जाने/दुरुपयोग होने की स्थिति में, बैंक अपनी वेबसाइट पर अपडेट की गई 'ग्राहक क्षतिपूर्ति नीति' द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, जिसे समय-समय पर अद्यतन किए गए पर आरबीआई के परिपत्र 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों में ग्राहकों का दायित्व सीमित करना' (आरबीआई परिपत्र - संदर्भ डीबीआर.सं.लेज.बीसी.78/09.07.2005/2017-18 दिनांकित 6 जुलाई, 2017) के आधार पर तैयार किया गया है।

10. कार्डधारक द्वारा सभी परिस्थितियों में, अपने डेबिट कार्ड के उपयोग से संसाधित सभी लेन-देनों की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की जाएगी, चाहे कार्डधारक की स्पष्ट या विवक्षित जानकारी या प्राधिकरण से संसाधित हुआ हो या नहीं। एटीएम के संचालन के समय उत्पन्न मुद्रित रसीद एटीएम के संचालन का रिकॉर्ड होती है और बैंक का रिकॉर्ड नहीं समझी जाएगी। बैंक का लेन-देनों का रिकॉर्ड सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी माना जाएगा। भुगतान प्रणाली में किसी तकनीकी खराबी के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा, यदि सिस्टम की खराबी कार्डधारक द्वारा डिवाइस पर प्रदर्शित संदेश द्वारा पहचानी जा सकती थी या अन्यथा ज्ञात थी। लेन-देन के गैर-निष्पादन या दोषपूर्ण निष्पादन के लिए बैंक की जिम्मेदारी शर्तों को नियंत्रित करने वाले कानून के प्रावधानों के अधीन मूल राशि और ब्याज की हानि तक सीमित होगी।

11. अन्य बैंक अपने एटीएम से नकद निकासी के लिए सेवा शुल्क ले सकते हैं, जिसे भुगतान खाताधारक/कार्डधारक द्वारा वहन किया जाएगा।
12. कार्ड से भारत के बाहर स्थित एटीएम से निकाली गई नकदी/किसी विदेशी व्यापारी के माध्यम से किया गया लेनदेन, उस संस्था द्वारा अनुमत मुद्रा में होगा जिसका एटीएम/पीओएस/पीजी का स्वामित्व है जिस पर निकासी/लेनदेन किया जाता है। जिस मुद्रा में ग्राहक के खाते में नकदी रखी गई है, उसकी समतुल्य राशि, प्रसंस्करण शुल्कों, रूपांतरण शुल्कों, शुल्कों (यदि कोई हो) सहित, ऐसे लेनदेन के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में रखे गए खाते से डेबिट की जाएगी।
13. भारत के बाहर कार्ड का विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अनुसार ही उपयोग किया जाएगा।
14. यदि बैंक डेबिट कार्ड सुविधा निरस्त करने/वापस लेने का निर्णय लेता है, तो बैंक कार्डधारक को 30 दिन पहले सूचना देगा।
15. आपको जारी किया गया डेबिट कार्ड पूर्वनिर्धारित रूप से केवल घरेलू एटीएम और पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) लेनदेनों के लिए ही सक्षम होगा। सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन/ई-कॉमर्स लेनदेन और संपर्क रहित लेनदेन डेबिट कार्ड पर पूर्वनिर्धारित रूप से अक्षम होते हैं। डेबिट कार्ड पर लेनदेनों को एयू बैंक की वेबसाइट, आईवीआर, AuroChatbot, 0101 ऐप और नेटबैंकिंग के माध्यम से सक्षम या अक्षम किया जा सकता है।

16. ग्राहक शिकायत निवारण नीति

बैंक ने शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक नीति बनाई है, जिसे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखा जा सकता है:

<https://www.aubank.in/Notice-Slider-1-9-customer-grievance-redressal-policy.pdf>

अन्य विवरण:

- ग्राहक सेवा: 1800 12001200
- समर्पित ईमेल आईडी: customercare@aubank.in

सावधि जमाएँ

1. बैंक द्वारा एक सावधि जमा सूचना जारी की जाएगी जिसमें जारी करने की तिथि, जमा अवधि, देय तिथि, लागू ब्याज दर आदि जैसे विवरण दर्शाए गए होंगे।
2. उद्धृत ब्याज दरें प्रति वर्ष हैं और ब्याज की गणना के लिए एक वर्ष में लिए गए दिनों की वास्तविक संख्या (अर्थात् लीप वर्ष में 366 दिन और गैर-लीप वर्ष में 365 दिन) है। लागू ब्याज दरों को बैंक की वेबसाइट www.aubank.in पर और शाखाओं में प्रदर्शित किया जाएगा।
3. ग्राहक सहमत है कि सावधि जमा की परिपक्वता पर, परिपक्वता संबंधी निर्देश न होने की स्थिति में, बैंक स्वतः ही नवीनीकरण के समय लागू ब्याज दर पर समान अवधि के लिए जमा राशि का नवीनीकरण कर देगा।
4. मैं सहमत हूँ कि मेरे निर्देशों या संयुक्त जमा की स्थिति में संयुक्त जमाकर्ताओं के निर्देशों के आधार पर मेरी सावधि जमा राशि की समयपूर्व निकासी की स्थिति में, बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित नियमों के अनुसार, सावधि जमा की राशि में से पहले भुगतान किए गए ब्याज या यदि कोई हो, या जुर्माना वसूलने का अधिकार होगा।
5. परिपक्वता पूर्व भुगतान योग्य नहीं सावधि जमाओं और कर बचतकर्ता सावधि जमाओं को उनकी परिपक्वता अवधि से पहले बंद नहीं किया जा सकता।
6. मैं जमा राशि के उत्तरजीवी खंड निर्देशों के अनुसार, "दोनों में से किसी एक या उत्तरजीवी", "किसी भी एक या उत्तरजीवी" या "पहला या उत्तरजीवी" के रूप में परिचालन निर्देशों वाली सावधि/मीयादी जमा की समयपूर्व पुनर्भुगतान की अनुमति देना चाहता/चाहती हूँ। (कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यह खंड केवल तभी मान्य है जब सभी संयुक्त खाताधारक खाता खोलने की अथवा तत्पश्चात् सहमति देते हैं)।
7. "दोनों में से किसी एक या उत्तरजीवी", "किसी भी एक या उत्तरजीवी", या "पहला या उत्तरजीवी के रूप में परिचालन निर्देशों वाली संयुक्त सावधि/मीयादी जमा के मामले में, यदि संबंधित

जमा/जमाओं के उत्तरजीवी खंड निर्देशों के अनुसार प्रासंगिक दस्तावेजों के लिए ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, बैंक जमा/जमाओं की परिपक्वता से पहले जमा राशि का पुनर्भुगतान करेगा। जमा की परिपक्वता से पहले किसी भी संयुक्त जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में भी यह लागू होगा। परिपक्वता से पहले ऐसा कोई भी पुनर्भुगतान, जमाकर्ताओं के नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी या इनके अंतर्गत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति सहित, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, सभी संबंधित पक्षों के प्रति बैंक के दायित्वों का वैध उन्मोचन माना जाएगा।

8. मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि सावधि जमाओं की समयपूर्व निकासी बैंक की नीतियों के अनुसार दंडात्मक दरों के अधीन है। हालाँकि, हममें से किसी एक (संयुक्त धारक) की मृत्यु की स्थिति में समयपूर्व निकासी पर ऐसा जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।
9. यदि बैंक के सावधि/मीयादी जमा खातों के नियमों और शर्तों के अनुसार, सावधि/मीयादी जमा को मूल अवधि पूरी होने से पहले बंद कर दिया जाता है, तो खुदरा जमा की समयपूर्व निकासी पर लागू ब्याज दर निम्नांकित में से कम होगी:
 - (i) मूल/अनुबंधित अवधि के लिए आधार दर जिसके लिए सावधि जमा किया गया है या
 - (ii) उस अवधि के लिए लागू आधार दर जिसके लिए सावधि जमा बैंक में प्रवृत्त है

आधार दर, जमा की तिथि पर खुदरा सावधि जमा पर लागू दर है। स्वीप-इन सहित सावधि जमा के समयपूर्व समापन/निकासी और/या आंशिक समापन/निकासी पर अर्थदंड 1% है।

10. यदि जमा की समयपूर्व निकासी न्यूनतम 7 दिनों की अवधि पूरी होने से पहले की जाती है, तो कोई ब्याज देय नहीं होगा। रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को पहले ही भुगतान की जा चुकी ब्याज या अर्थदंड, यदि कोई हो, वसूलने का अधिकार होगा। 1 करोड़ 1 हजार रूपए मूल्य की गैर-प्रतिदेय जमाराशियों, जिनमें व्यक्तिगत और एचयूएफ की जमाराशियाँ शामिल हैं, का जमाकर्ता द्वारा अवधि की समाप्ति से पहले समापन नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, बैंक कुछ असाधारण परिस्थितियों में, किसी वैधानिक और/या नियामकीय निकाय से निर्देश मिलने पर या मृतक दावा निपटान के मामलों में, इन जमाराशियों की समयपूर्व निकासी की अनुमति दे सकता है।

11. घरेलू और एनआरओ जमाराशियों के मामले में, यदि जमाराशि की बुकिंग की तिथि से 7 दिनों के भीतर समयपूर्व निकासी की जाती है, तो कोई ब्याज देय नहीं होगी। एनआरई/एफसीएनआर (बी)/आरएफसी जमाराशियों के मामले में, यदि उक्त जमाराशि की जमाराशि की तिथि से 1 वर्ष पूरा होने से पहले समयपूर्व निकासी की जाती है, तो कोई ब्याज नहीं देय होगी।
12. सावधि जमा पर ब्याज की तिमाही अंतराल पर, स्वीकृति के समय लागू दरों पर, जब तक कि अन्यथा पारस्परिक रूप से सहमति न हो, जैसा भी मामला हो, या भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार जब तक कि अन्यथा ग्राहक और बैंक के बीच पारस्परिक रूप से सहमति न हो, गणना की जाएगी।
13. जमाराशि पर ब्याज या तो त्रैमासिक रूप से या त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि (अर्थात ब्याज का पुनर्निवेश) देय है या जमाकर्ता के निर्णय के अनुसार छूट प्राप्त ब्याज दर पर मासिक रूप से देय है, जैसा कि जमा की बुकिंग के समय चुना गया था। ब्याज केवल 6 महीने और उससे अधिक की सावधि जमा अवधि के लिए परिपक्वता पर देय है।
14. यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारित सभी सावधि जमाओं पर भुगतान की गई/देय कुल ब्याज आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि से अधिक हो जाती है, तो बैंक स्रोत पर कर कटौती करने का वैधानिक रूप से दायित्वाधीन है। बैंक कर कटौती की राशि के लिए एक कर कटौती प्रमाणपत्र (टीडीएस प्रमाणपत्र) जारी करेगा। यदि जमाकर्ता टीडीएस से छूट का हकदार है, तो वह निर्धारित प्रारूप (फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच/छूट प्रमाणपत्र) में आवेदन-पत्र में की गई घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सभी मौजूदा एफडी/आरडी के लिए ए और जब भी कोई नया एफडी (इसमें वे सावधि जमाएँ भी शामिल हैं जो ... के माध्यम से सृजित की गई हैं)/आरडी बुक किया जाता है, एक नया फॉर्म 15जी/15एच प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें विफल रहने पर बैंक लागू अनुसार करों की कटौती करेगा।
15. यदि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ए की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार कटौती की जाने वाली कर राशि ("टीडीएस") कटौती के लिए उपलब्ध ब्याज की राशि से अधिक है (उदाहरण के लिए, जिस तिथि को ग्राहक की कुल ब्याज राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ए में उल्लिखित सीमा से अधिक हो जाती है, तो कटौती की जाने वाली TDS राशि उक्त तिथि पर भुगतान की जा रही/चक्रवृद्धि हो रही ब्याज की राशि से कम हो सकती है), तो बैंक, बिना किसी पूर्व सूचना या मांग के, सरकारी खजाने में जमा करने के लिए, ग्राहक के बैंक में किसी अन्य खाते से

और/या सावधि जमा की मूल राशि से, टीडीएस काटने का अधिकारी है और इस प्रयोजन के लिए, बैंक ग्राहक की किसी भी सावधि जमा को समय से पहले समाप्त करने का, इस प्रकार की समयपूर्व नकदीकरण से होने वाली हानि के लिए बैंक की ओर से बिना किसी भी दायित्व के अधिकारी है।

16. आयकर अधिनियम के सभी परिवर्तन/नियम लागू होंगे।
17. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एफसीएनआर (बी) और आरएफसी जमाओं पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। पुनर्निवेश जमा पर ब्याज में हर छह महीने में चक्रवृद्धि होती है। (अर्धवार्षिक/छह माह को 180 दिन निर्धारित किया गया है)

आवर्ती जमाएँ

1. आवर्ती जमाओं पर ब्याज की गणना बैंक द्वारा भारतीय बैंक संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
2. आवर्ती जमाओं पर ब्याज दरें सावधि जमा के लिए लागू दरों के अनुरूप होंगी।
3. आवर्ती जमा पर ब्याज का केवल परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है।
4. यदि एक महीने के भीतर जमा का समापन हो जाता है, तो समयपूर्व निकासी पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा।
5. जमाओं के समयपूर्व समापन पर लागू ब्याज दर, बैंक में जमा की अवधि के लिए लागू आधार दर होगी। आधार दर जमा बुकिंग की तिथि पर जमाओं पर लागू दर है। आवर्ती जमाओं के समयपूर्व समापन पर बैंक द्वारा 1% की दर से अर्थदंड निर्धारित किया गया है।
6. यदि ग्राहक किसी विशेष किस्त का भुगतान समय पर नहीं करता है और उसका भुगतान अगले महीने में करता है, तो ऐसी किस्त पर www.aubank.in वेबसाइट पर निर्धारित बाकीदारी की अवधि के लिए अर्थदंड लगाया जा सकता है।

7. यदि मासिक किश्तों में बार-बार बाकीदारी (भुगतान न होना) देखी जाती है और तीन किश्तें बकाया हो जाती हैं, तो बैंक आरडी खाता बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे बंद खातों पर लागू ब्याज दर बैंक की समयपूर्व निकासी नीति के अनुसार होगी।

शिकायत निवारण

यदि आपकी बैंक के किसी भी उत्पाद/सेवा की विशेषताओं से संबंधित कोई शिकायत है, जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, तो आप बैंक की शिकायत निवारण नीति देख सकते हैं, जो वेबसाइट/शाखाओं पर प्रदर्शित की जाएगी।

क्षतिपूर्ति

मैं अपनी और/या किसी तृतीय पक्ष की ओर से लापरवाही, धोखाधड़ी, मिलीभगत या इसमें दी गई शर्तों के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली सभी देयताओं, हानियों, दावों और क्षतियों से बैंक की हानिपूर्ति करूँगा/करूँगी और हानिरहित रखूँगा/रखूँगी, बशर्ते बैंक की ओर से कोई गंभीर लापरवाही न हो।

सामान्य

एयू स्मॉलफाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ आपके सभी मौजूदा संबंधों (यदि कोई हो) में व्यक्तिगत विवरणों/क्रेडेंशियल्स को आपके द्वारा खाता खोलने के नवीनतम फॉर्म में दी गई जानकारी के अनुसार अपडेट किया जाता है।

शासी कानून

सभी दावे, मामले और विवाद केवल जयपुर स्थित सक्षम न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन हैं। ये नियम और शर्तें और/या बैंक द्वारा रखे गए ग्राहक के खातों का परिचालन और/या बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उपयोग भारत गणराज्य, न कि किसी अन्य देश के कानूनों द्वारा नियंत्रित होगा। ग्राहक और बैंक इन नियमों और शर्तों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या मामले के संबंध में जयपुर,

भारत स्थित न्यायालयों का अनन्य क्षेत्राधिकार में स्वीकार करने के लिए सहमत हैं। बैंक भारत गणराज्य के अलावा किसी अन्य देश के कानूनों का पालन न करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी दायित्व स्वीकार नहीं करता है।

अधिक जानकारी के लिए, हमारे टोल-फ्री नंबर 1800 1200 1200 पर कॉल करें
या www.aubank.in पर लॉग ऑन करें।